न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —79 / 2019

अनवान : —

1. भीमसैन पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तसहील भादरा।

:—**वादी**

बनाम

1. गिरधारी पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गिरधारी जाति जाटं निवासी नेठाराना तहसील भादरा।
3. राकेश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नेठाराना तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी नेठाराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एक्सीस बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:—**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री विक्रम शर्मा वकील —**वादी**
श्री मुन्शीराम गोस्वामी वकील— **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक:— 30/01/2020

सक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 26 / 24 के मु.न. 20 किला नं. 16, 22 ता 25, मु.न. 33 किला नं. 3 ता 8, की कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 17 / 19 के मु.न. 14 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22, मु.न. 24 किला नं. 1 कि कुल 2.277 हैक्टर नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 25 / 23 के मु. न. 21 किला नं. 1 ता 3 व 10 की 0.886 हैक्टर नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा जगमाल की खातेदारी हुआ करती थी। जगमाल के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी गिरधारी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपना जवाबदावा पेश किया वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 6 को तर्क किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का फोरमल जवाबदावा पेश होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही समझी गई। वकील वादीगण ने साक्ष्यवादी में वादी भीमसैन पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने वारिस प्रमाण ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श—1, जमाबंदी चक 3 बीआरडब्ल्यू खाता सएंख्या 26 / 24 प्रदर्श—2, जमाबंदी चक 5 बीआरडब्ल्यू खाता संख्या 17 / 19 प्रदर्श—3, जमाबंदी चक 1 बीआरडब्ल्यू खाता संख्या36 / 23 प्रदर्श—4, जमाबंदी भूप्रबंधन विभाग सम्वत 2029—28 खाता संख्या 13 प्रदर्श—5, एजमाबंदी चक 1 बरवाली खाता नं. 17 प्रदर्श—6, व चक 3 बरवाली खाता नं. 14 प्रदर्श—7 प्रदर्शित करवाये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भीमसैन बनाम गिरधारी आदि

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक दावा अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने चक 3 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 26/24 के मु.न. 20 किला नं. 16, 22 ता 25, मु.न. 33 किला नं. 3 ता 8, की कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 17/19 के मु.न. 14 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22, मु.न. 24 किला नं. 1 कि कुल 2.277 हैक्टर नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 25/23 के मु.न. 21 किला नं. 1 ता 3 व 10 की 0.886 हैक्टर नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1/3 को 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः वाद वादी साबित होने पर मुताबिक दावा अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 26/24 के मु.न. 20 किला नं. 16, 22 ता 25, मु.न. 33 किला नं. 3 ता 8, की कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला व चक 5 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 17/19 के मु.न. 14 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22, मु. न. 24 किला नं. 1 कि कुल 2.277 हैक्टर नहरी तथा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 25/23 के मु.न. 21 किला नं. 1 ता 3 व 10 की 0.886 हैक्टर नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। चुंकि प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा वादीएवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –79/2019

अनवान : –

1. भीमसैन पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तसहील भादरा।

:–वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नेठाराना तहसील भादरा।
3. राकेश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी नेठाराना तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी नेठाराना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एक्सीस बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने पर मुताबिक दावा अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 26/24 के मु.न. 20 किला नं. 16, 22 ता 25, मु.न. 33 किला नं. 3 ता 8, की कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला व चक 5 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 17/19 के मु.न. 14 किला नं. 9 ता 12, 19 ता 22, मु.न. 24 किला नं. 1 कि कुल 2.277 हैक्टर नहरी तथा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 25/23 के मु.न. 21 किला नं. 1 ता 3 व 10 की 0.886 हैक्टर नहरी खातेदारी भी प्रतिवादी गिरधारी के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या/1 ता 3 को 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। चुंकि प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा वादीएवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 14:47:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: